

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2016—आषाढ़ 17, शक 1938

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)
अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2016

अधिसूचना क्र. भ.स.क.म.म-2016-2885.—म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की अधिसूचना क्रमांक—भ.स.क.म.म.—2014—2441 दिनांक 01 अगस्त 2014 द्वारा चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित)—2004 तथा भ.स.क.म.म.—2014—6417 दिनांक 15 अप्रैल 2015 द्वारा संशोधन प्रकाशित किया गया था. उक्त जारी अधिसूचना में राज्य शासन के पूर्व अनुमोदित से निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

संशोधन

उक्त योजना के प्रावधानों में कंडिका 3 के बाद कंडिका 3(1) स्थापित की जाती है यथा—

कंडिका 3(1) पं. दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना के अंतर्गत देय रुपये 30,000 प्रति परिवार प्रतिवर्ष की राशि सभी आंतरिक रोगियों (**Indoor patients**) अर्थात् जिनके द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिकृत अस्पतालों अथवा मण्डल द्वारा अधिमाम्य किये गये अस्पतालों में भर्ती रहकर किसी भी बीमारी अथवा दुर्घटना में चोटिल होने पर इलाज कराया जा रहा हो हेतु देय होगी.

राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत देय हितलाभ राशि (जो कि मण्डल की योजना के अंतर्गत रुपये 03 लाख की सीमा में है) उक्त योजना के अंतर्गत चिन्हित बीमारियों हेतु इस योजना हेतु राज्य शासन द्वारा अधिकृत अस्पतालों तथा मण्डल द्वारा अधिमाम्य किये गये अस्पतालों में इलाज करवाने पर देय होगी.

एस. एस. दीक्षित, सचिव.